न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 54 / 2013

1 श्योकोरी पत्नी शंकरलाल।
2सरदारा पुत्र शंकरलाल।
3 सीताराम पुत्र शंकरलाल समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामकुमार पुत्र जमना।
2 रिछपाल पुत्र सुण्डाराम।
3 श्योलाराम पुत्र सुण्डाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बउनवानी मुकदमा रामकुमार आदि बनाम श्योकोरी वगैरह मुकदमा नम्बर 147 / 11 बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक 13.06.2013

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमलेश, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 07.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 147/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 13.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम गिरावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 776/715/14,778/35 बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत में प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी बाबत आदेश दिनांक 12.08. 2011 को एक तरफा का आदेश पारित किया है परन्तु पत्रावली में प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी बाबत नोटिस पर प्रतिवादीगण/अपीलांट के हस्ताक्षर नोटिस प्राप्ति के नहीं है। प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी बाबत चस्पादंगी का कोई आदेश नहीं है व चस्पादंगी भी खुले मकान पर किस तरफ झांकते मकान पर चस्पा की गई है। इस बाबत कोई रिपोर्ट भी नहीं है व ना ही गवाहान की बलदीयत ही दर्ज है। इस कारण से प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी बाबत अदालत मातहत का आदेश दिनांक 12.08.2011 गलत होने कसे खारिज होन योग्य है। एक तरफा दावे की शहादत में भी कोई दस्तावेजात प्रदर्शित अदालत मातहत में नहीं करवाये है। बिना दस्तावेजात के दावा डिक्री करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। प्रतिवादी/अपीलांट के पूर्वज प्रभात के नाम से दफा 19 राज.टी.एक्ट के तहत आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 07 दिनांक 13.11.1962 को तस्दीक किया गया था व उक्त नामान्तकरण को भी वादीगण/रेस्पोडेंट ने कभी भी चेलेंज नहीं किया है। कानूनन बिना प्रदर्शित करवाये पेश दस्तावेजात वेस्ट पेपर है। इस तरफ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अदालत मातहत ने गौर ना कर दावा डिक्री करने मे गलती कानूनी की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर के अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर के अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि दोनों फरीकेन को सुनवाई का अवसर दिया जाकर के विधिवत निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिये अपीलांट ने आदेश 9 नियम 7 के तहत विचारण न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नही उठाया जा सकता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के गत भूमि खसरा नम्बर 15/2 के हाल खसरा नम्बर 776/715/14 बनना साबित है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 की खातेदारी राजकीय दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 15/2 से बनना साबित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गिरदावरीयां संवत 2012 से 2015, 2020 से 2023 एवं 2036 से 2039 के अनुसार कॉलम नम्बर 6 में बतौर उपकृषक वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभाता पुत्र ईशरा जाति गुर्जर सा. देह दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि पर खेती किया जाना साबित है। लेकिन इसके उपरान्त बने राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कदीमी कब्जा काश्त होना साबित है तथा वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अदालत मातहत ने गौर ना कर दावा डिक्री करने में गलती कानूनी की है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर के अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर के अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जावे कि दोनों फरीकेन को सुनवाई का अवसर दिया जाकर के विधिवत निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिये अपीलांट ने आदेश 9 नियम 7 के तहत विचारण न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नही उठाया जा सकता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के गत भूमि खसरा नम्बर 15/2 के हाल खसरा नम्बर 776/715/14 बनना साबित है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 की खातेदारी राजकीय दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 15/2 से बनना साबित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गिरदावरीयां संवत 2012 से 2015, 2020 से 2023 एवं 2036 से 2039 के अनुसार कॉलम नम्बर 6 में बतौर उपकृषक वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभाता पुत्र ईशरा जाति गुर्जर सा. देह दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि पर खेती किया जाना साबित है। लेकिन इसके उपरान्त बने राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कदीमी कब्जा काश्त होना साबित है तथा वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने के लिये अपीलांट ने आदेश 9 नियम 7 के तहत विचारण न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर तामील का बिन्दु नही उठाया जा सकता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के गत भूमि खसरा नम्बर 15/2 के हाल खसरा नम्बर 776/715/14 बनना साबित है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में राजकीय दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 की खातेदारी राजकीय दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल ग्राम गिरावड़ी के अनुसार 776/715/14 रकबा 0.17 किस्म बारानी 3 खसरा नम्बर 778/35 रकबा 0.45 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 15/2 से बनना साबित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गिरदावरीयां संवत 2012 से 2015, 2020 से 2023 एवं 2036 से 2039 के अनुसार कॉलम नम्बर 6 में बतौर उपकृषक वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभाता पुत्र ईशरा जाति गुर्जर सा. देह दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि पर खेती किया जाना साबित है। लेकिन इसके उपरान्त बने राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमि राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कदीमी कब्जा काश्त होना साबित है तथा वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर